भारतीय समाज में दिव्यांगता का विमर्श मूलक स्वरूप

वन्दना पाण्डेय,

शोधार्थी–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ (उ.प्र.)

शोध सारांश

भारतीय समाज की संरचना ऐसी है जिसमें अनेक वर्ग, जाति, सम्प्रदाय, धर्म हैं और ये आपस में प्रेमभाव से रहते हैं। आपसी प्रेम की यह परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भारतीय समाज में दिव्यांगजनों का गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले भले ही इन्हें दया एवं सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाता था परन्तु आज दिव्यांगों के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। आज दिव्यांगता होना अभिशाप नहीं है। और न व्यक्ति का उसके पूर्व जन्मों का फल माना जाता है। प्रारब्ध की धारणा जो व्यक्ति पूर्व जन्म पाप या पुण्य करता है उसका फल उसे अगले जन्म में मिलता है। अब बुद्धिजीवियों ने झुठला दी है। अर्थात् कोई व्यक्ति किसी भी कारण से दिव्यांग हो जाए तो भारतीय समाज के लोग यह कहते हैं कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई पाप अवश्य किया होगा। दिव्यांगों को हाशिये पर से केन्द्र में लाने में जितना योगदान वर्तमान समाज का है उससे कहीं अधिक आमआदमी की सोच एवं सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयास भी कम नहीं हैं।

Key Words : *भारतीय समाज,संरचना,विकृति,दिव्यांगता,विमर्श*

दिव्यांग समाज भारतीय समाज का अभिन्न अंग है किन्तु किन्हीं कारणों से प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय में भी यह समाज की मुख्य धारा से दूर हाशिये पर अपना जीवन जी रहे हैं। दिव्यांग समाज की बात करने से पहले हमें 'दिव्यांग' शब्द पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये दिव्यांग कौन है? 'दिव्यांग' का शाब्दिक अर्थ तो 'दिव्यांग' है अर्थात् जिसके पास दिव्य अंग हो, यह शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है, इसके पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था। ''विफलः विक्रतः न्यूनः अपूर्णः अक्षमः अल्पक्षमः शरीरोग या मंद बुद्धि वाले प्राणी को विकलांग कहते हैं।''[1] समाज में विकलांगता से तात्पर्य किसी अंग में विकृति का आना है। डॉ0 गोपाल शरण पाण्डेय के अनुसार ''भारतीय साहित्य में विकलांग पोगण्ड व्यंग्य, विकृत, हिनोग अधिकांश, विकल, विकलेन्द्रिय, अतिरिक्त ग्रांत्री, हिनगान्न, न्युनोग, न्यनाधिकोग, हिनधिकांग, अंगहीन, व्यसन अंग व्यसनिनं शब्दों की चर्चा आई है।''[2] विकलांग, दिव्यांग, अपाहिज, पंगु, अन्धा, सूरदास, लंगण, गूंगा, बहिर, मूकबधिर, दृष्टिबाधित आदि अनेक नाम लो अपी सुविधानुसार रख लेते हैं। बात यही तक नहीं थमती दिव्यांग तो कोई कहता नहीं अपितु अनेक राज्यों में अनेक नाम जैसे मराठी में अपंग कहते है। दिव्यांगों के नाम को लेकर इतनी दुर्दश है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों की समाज में क्या हैसियत होगी।

दिव्यांग समाज में भी दलित, अल्पसंख्यक आदि की तरह दिव्यांगों को भी सरकार और समाज की मुख्य धारा के लोगों ने कई वर्गों में

बाँटा है जैसे दलितों को चमार, पासी, मुसहर आदि में उसी प्रकार दिव्यांगों को, दृष्टिहीन, मूकबधिर, चलन–क्रिया, मानसिक मंदता आदि। प्रो0 दामोदर मोरे ने दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''कुदरत को दी हुई शारीरिक, मानसिक, दुर्बलता, न्यूनता या विरूपता विकलांगता है। यह विकलांगता दुःख की जननी है। लेकिन इस सत्य को न स्वीकारते हुए उससे दूर भागना या डरना कायरता है। उसका डटकर सामना करना ही पुरूषार्थ है। शरीर भले ही विकलांग हो, मन विकलांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन तो उर्जा का केन्द्र है। जो व्यक्ति संस्था या समाज विकलांगों के अस्तित्व की रक्षा व उनकी उन्नति के लिए काम करता है, वह मानवता का सच्चा मित्र है, उसका प्रहरी है।''[3] सरकारी नियम के अनुसार एक विकलांग (दिव्यांग) प्रमाण–पत्र जारी होता है जिसके पास यह प्रमाण पत्र होता है वह दिव्यांग की श्रेणी में आता है। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता का एक मानक है अर्थात् जो व्यक्ति 40% या उससे अधिक दिव्यांग है उसे ही सरकार दिव्यांग मानती है।

भारतीय समाज में दिव्यांगों को दया एवं सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाता है। दिव्यांगों के प्रति लोगों की धारणा यह है कि दिव्यांग होना किसी व्यक्ति का उसके पूर्व जन्मों का फल है। भारतीय समाज की यह मान्यता है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म पाप या पुण्य करता है उसका फल उसे अगले जन्म में मिलता है। अर्थात् कोई व्यक्ति किसी भी कारण से दिव्यांग हो जाए तो भारतीय समाज के लोग यह कहते हैं कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई पाप अवश्य किया होगा। डॉ0 के0एस0 बाजपेयी जी ने लिखा है कि, ''जरा सोचिये जो जन्म से विकलांग है उसका जीवन दर्शन क्या होगा? शायद एक शून्य जिसकी हम कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, उसकी सोंच, उसका व्यक्तित्व, बाधाएँ, लक्ष्यहीन, दूसरों पर निर्भर जीवन और एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जिसका शायद उत्तर खोज पानावाकई एक चुनौती है।''[4] दिव्यांगों को हाशिये पर भेजने में जितना योगदान वर्तमान समाज का है उससे कहीं अधिक प्राचीन धर्म ग्रन्थ एवं शास्त्रों का है, कहने के लिए तो धर्म ग्रनथ एवं शास्त्र उच्च एवं आदर्श जीवन जीने के लिए मार्गदर्शित करते हैं किन्तु दिव्यांगों के प्रति दृष्टिकोण सबके सामने है पूर्व जन्म की अवधारणा इन्हीं ग्रन्थों के कारण है। पुराणों में उल्लेखित धृष्टराष्ट्र की कथा को कौन नहीं जानता किनतु इस बात से कम ही लोग परिचित होंगे कि ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी वह राजा नहीं बन सके क्योंकि वह दृष्टि बाधित थे। जब धर्मधास्त्र एवं ग्रन्थ ही दिव्यांगों को हासिये पर जीवन के लिए विवश किये हैं तो आय जन साहित्य क्यों नही क्योंकि शास्त्र, ग्रन्थ, पुराण, वेद तो जनकल्याण एवं सामाजिक समरसता के लिए होता है।

दिव्यांग को अंग्रेजी में 'Disability'के नाम से जाना जाता है जो काफी सार्थक लगता है क्योंकि इसका अर्थ है 'अक्षमता' अर्थात् व्यक्ति जो दृष्टि बाधित है उसकी अक्षमता यह है कि वह देख नहीं सकता किन्तु अन्य कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है और यदि अन्धेरे में कोई कार्य करना हो तो वह आसानी से कर सकता है। अंधेरे में कार्य करना उसकी क्षमता हुई और जो व्यक्ति अंधेरे मे कार्य नहीं कर सकता उसकी अक्षमता अर्थात् Disability है। हमारे समाज में दिव्यांग अल्पसंख्यक अतः बहुसंख्यक समाज के द्वारा उनकी अपेक्षा की जाती है इसी कारण आज भी दिव्यांग समाज हासिये पर है। इस सन्दर्भ में यह कथन सही साबित होता है, ''आम तौर पर परिवार में अपंग, मानसिक विकलांग स्त्रियों के साथ उदासीनता बढ़ जाती है। घर के किसी कोने में उनकी जगह होती है, जहाँ अभिशक्त जिन्दगी का आधे से ज्यादा वक्त कट जाता है।''[5] समाजज में शारीरिक अक्षमता एवं विकृति के आधार पर उनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता है, ''अपंगता व्यक्ति और उसके

परिवार लगा एक ग्रहण है। ऐसा ग्रहण जो पूर्णमासी से अमावस्या तक लगातार चाँद को घेरे रहता है। इस घेरे को तोड़ने के लिए साहस चाहिए, जिजीविषा चाहिए, उत्साह चाहिए और जिन्दगी के प्रति विश्वास चाहिए। हमारे समाज में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिनकी जिन्दगी एक उदाहरण बनकर सामने आती है।''[6] दिव्यांग समाज से दया नहीं सहयोग चाहता है। श्रीमती चटर्जी ने कहा है कि, ''पूरे ब्रह्माण्ड का रवैया विकलांगों के प्रति उपेक्षात्मक है जिसे बदलना ही होगा एक राजनेता से लेकर एक आम नागरिक तक अपना नजरिया इस परिप्रेक्ष्य में बदलना होगा और इसकी शुरूआत हो चुकी है।''[7]

दिव्यांगता की समस्या प्राचीन काल से है। दिव्यांग भी इसी समाज के मुख्य अंग है इस बात को खारिज नहीं कक्षा आधारित उपागम अधिगम की न्यूनतम दक्षता तथा नैपुण्य अधिगम पर आधारित है।

विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धि के स्तर सुधारने के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तरों के निर्धारण की आवश्यकता अनुभूत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सभी बच्चों को बिना किसी जाति धर्म भाषा, वंश, संप्रदाय, स्थान, लिंग के अच्छी शिक्षा मिल सके।

1. 5 जनवरी 1990 को मानव संसाधन शिक्षा विभाग डा0 आर0 दूबे की अध्यक्षता में एक ग्यारह सदस्यीय समिति का गठन किया।
2.
   I. कक्षा 3 तथा 4 के लिए अधिनियम के न्यूनतम स्तर निर्धारित करना।
   II. व्यापक छात्र–मूल्यांकन तथा मापन के लिए एक प्रक्रिया संतुति करना।
   III. संज्ञानेतर अधिगम क्षेत्रों पर विचार करना तथा उनमें शिक्षण के सुधार के लिए मूर्त उपायों का सुझाव देना।

इसे प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा में निम्न दक्षताओं के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किये गये।

सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना व अवबोध कापरिमक, स्व अधिगम, भाण प्रयोग, शब्दावली नियन्त्रण किया जा सकता है। इस तथ्य को व्याख्यायित करते हुए देवेन्द्र सिंह गहरवार ने कहा है कि, ''हमारे भारतीय समाज में अपंगता एक अभिशाप है। इसमें जीवन नष्ट हो जता है, मगर कुछ ऐसे भी अपंग हैं जो अपनी विकलांगता को अपनी विशिष्टता बना लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय दर्शन एवं साहित्य में अष्टावक्र, सूरदास, जायसी आदि ऐसे ही कालजयी चरित्र हैं, जो हमें अनवरत प्रेरणा देते रहते हैं।'' दिव्यांग स्वयं से संघर्ष तो करता ही समाज में भी उसे अपेक्षित एवं निष्क्रिय समझा जाता है। अशोक वाजपेयी ने कहा है कि, ''विकलांगों के प्रति हमारे समाज में विद्यमान नकारात्मक सोंच को दूर कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास होते आये हैं। इस दिशा में प्रिंट व दृश्य माध्यमों का योगदान महत्वपूर्ण है। पौराणिक ग्रन्थों में भी विकलांगता को हेय दृष्टि से न देखा उसे विशिष्ट स्थान दिया गया।''

दिव्यांग व्यक्ति के लिए जितना प्राकृति उत्तरदायी है उससे कहीं अधिक समाज है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार कही जाती है किन्तु दिव्यांग बालक के प्रति अपेक्षा का भाव परिवार से ही शुरू होता है। समाज में मानव, जीव–जन्तु सभी अपने बच्चे से प्यार करते हैं किन्तु दिव्यांगों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके माता–पिता, भाई–बहन आदि ही उन्हें अपशकुन मानकर उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। ऐसा समाज के किसी वर्ग के साथ नहीं होता है। समाज उनके साथ हमेशा से उपेक्षा का

व्यवहार करता रहा है। आज हम 21वीं सदी जो विज्ञान एवं तकनीकी के युग में जी रहे हैं फिर भी दिव्यांग समाज हासिये पर है। दिव्यांगों ने यह साबित कर दिया है कि वह भी सब कर सकते हैं चाहे विश्व की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ना हो या ओलम्पिक में पदक प्राप्त करना हो। दिव्यांगों के बारे में यह पंक्ति समाज का नजरिया बदलने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं–''कुछ वजह है जो कि कुछ सुनते नहीं, लोग इतने भी यहाँ बहरे नहीं। आपकी यह व्यंजना होती बड़ी, इसमे सुबह ओ शाम के मुद्दे नहीं। सोचिए मजबूत है जिसका वजूद, आग में लोहा अगर पिघले नहीं वक्त से निकलते हुये ये प्रश्न है, यह नहीं कहिए कहीं ये नहीं। रोशनी पर रोशनी की धुन्ध है, वर्ना क्या कुछ आंच के आगे नहीं फिर कभी लेंगे सहारा आपका, हम अभी इतने गये गुजरे नहीं। वक्त के इस छन्द को समझें जनाब, ये किसी के गीत या दोहे नहीं।''

सन्दर्भ

1. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ–18
2. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ– 121
3. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ– 54
4. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ– 95
5. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ–101
6. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ–80
7. पाठक डॉ0 विनय कुमार,विकलांग विमर्श– सम्पादक, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद,बिलासपुर,छत्तीसगढ,2010,पृष्ठ–96

Copyright © 2017, Vandana Pandey. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.